

## सार-समाचार

## व्यवस्थाओं का लिया जायजा

**कपासन**, (निर्सं)। एसडीएम राजेश सुवालका ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में नगर पालिका द्वारा संचालित रैन बसेरा का औचक निरीक्षण किया  इस दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सोमवार को रात्रिकालीन के दौरान एसडीएम राजेश सुवालका ने नगर पालिका कपासन द्वारा संचालित रैन बसेरा का निरीक्षण करने पहुंचे जहां पर जरूरतमंद लोगों के सोने, उठरने व पेयजल व्यस्था एवं सदीं से बचाव के लिए अलाव को व्यवस्था की जानकारी लेते हुए जायजा लिया  साथ जरूरतमंदो के लिए सदीं से बचाव के लिए समुचित व्यवस्था निरंतर रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अधिशाषी अधिकारी ललित सिंह देथा के निर्देशन पर पालिका कनिष्ठ अभियन्ता खेमराज सिंह, वरिष्ठ सहायक गोपाल सुथार, रामप्रसाद गायरी,नरेगा जेटीए रोहित पंचोली, कंप्यूटर ऑपरेटर राजकुमार खटीक, विशाल सहित आदि मौजूद रहे। एसडीएम सुवालका ने व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया।

## आश्रय स्थल व रैन बसेरा का निरीक्षण

**डूंगरपुरा** नगर परिषद सभापति अमृत कलासुआ ने जिला अस्पताल के सामने बने आश्रय स्थल और राजपुर घाटी स्थित रैन बसेरा का औचक निरीक्षण कर कर्मचारियों को पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश दिए।  सभापति अमृत कलासुआ ने सबसे पहले जिला अस्पताल के सामने सुषाष नगर रोड पर स्थित आश्रय स्थल पर पहुंचे। जहां पर कुछ लोग बिस्तर पर आराम कर रहे थे। सभापति ने वहां पर बाथरूम और स्टोर रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां पर कार्यरत कर्मचारियों को बाथरूम की संपूर्ण साफ-सफाई रखने के निर्देश दिए। वही बिस्तर पर जमा धूल को साफ करके नई चदर बिछाने के निर्देश दिए। कर्मचारियों को यहां पर आने वाले आमजन और राहगीर को निरुशुक आश्रय देने के निर्देश दिए। वही कर्मचारी को स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी नशा का सामान लेकर प्रवेश नहीं दिया जाए। इसके बाद सभापति राजपुर स्थित रैन बसेरा भवन में पहुंचे। वहां पर साफ-सफाई के निर्देश दिए। वही वहां पर आराम कर रहे लोगों से नाम, पता पूछा गया। जिसे सभापति ने रजिस्टर से मिलान किया। उन्होंने कर्मचारी से बाथरूम की साफ.सफाई के साथ हॉल में भी नियमित कचरा पोछा लगाने के निर्देश दिए। वही ज्यादा ठंड बढने पर रैन बसेरा में आने वाले लोगों को दो से तीन कंबल देने के निर्देश दिए। वही अलाव तापने के लिए लडकी उपलब्ध करवाई। रोज यहां के लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था करने के लिए कहा। इसके अलावा शुद्ध पेयजल के कैम्पर रखने के भी निर्देश दिए। वही सभापति ने नगर परिषद कर्मचारी को निर्देश दिए कि अस्पताल में पत्र लिखकर रैन बसेरा में आने वाले लोगों के स्वास्थ्य जांच कराने की बात कही। इसके साथ ही अस्पताल में मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के आश्रय के लिए अस्पताल के पास बने भवन का उपयोग करने के लिए पत्र लिखने के निर्देश दिए।

## ‘पेडल टू जंगल  9 जनवरी से

**उदयपुर**, (कासं)। दक्षिण राजस्थान में वन संरक्षण व अंगदान के प्रति जागरूकता के संदेश को देने के उद्देश्य से ग्रीन पीपल सोसायटी, उदयपुर द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित ‘पेडल टू जंगल नवां संस्करण’ साइक्लिंग अभियान का शुभारंभ 9 जनवरी  को फतेहसागर झील, उदयपुर से होगा। इस अवसर पर सुबह 8 बजे उद्घाटन समारोह एवं साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। यह अभियान 9 से 11 जनवरी तक उदयपुर,कुंभलगढ राजसमंद,पाली तथा आसपास के वन क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा। ग्रीन पीपल सोसायटी के अध्यक्ष एवं भारतीय वन सेवा के पूर्व मुख्य वन संरक्षक राहुल भटनागर ने बताया कि वन विभाग के सहयोग से आयोजित यह अभियान वन संरक्षण के साथ-साथ अंगदान के प्रति जन-जागरूकता बढाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि  प्रकृति संरक्षण और जीवनदान-ये दोनों ही समाज के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। ‘पेडल टू जंगल’ के माध्यम से हम लोगों को जंगलों की रक्षा और अंगदान जैसे मानवीय विषयों से जोड़ना चाहते हैं। भटनागर ने बताया कि यह ग्रीन पीपल सोसायटी द्वारा अंगदान को समर्पित तीसरा साइकिलिंग अभियान है, जिसे विश्व वन्यजीव निधि, भारत का भी समर्थन प्राप्त है। अभियान के अंतर्गत विभिन्न जन-जागरूकता कार्यक्रम, संवाद एवं सहभागिता गतिविधियाँ आयोजित की जाएँगी। उन्होंने अंगदान समूह के सदस्यों एवं आम नागरिकों से उद्घाटन समारोह, रैली को हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम तथा अन्य औपचारिक आयोजनों में उपस्थित होकर संदेश को मजबूती देने का आ ान किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम में सहभागिता के लिए साइकिल चलाना आवश्यक नहीं है-केवल उपस्थित होकर वन संरक्षण और अंगदान के पक्ष में समर्थन देना जरूरी है। अभियान से जुड़ी सहभागिता एवं समन्वय के लिए इच्छुक व्यक्ति राहुल भटनागर (मोबाइल 9414156229) से संपर्क कर सकते हैं।

## टक्कर में एक बाइक सवार की मौत

**डूंगरपुरा** जिले के दोवडा थाना क्षेत्र के पुनाली घाटा में 2 बाइक की टक्कर में एक बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान पालथुर निवासी नानुराम ननोमा के रूप में हुई है। उनके बेटे डयनालाल ने दोवडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। दोवडा थाने के एएसआई ने बताया कि नानुराम ननोमा कहारी डोलवर से अपनी बाइक से पाकथुर की ओर आ रहे थे। इसी दौरान पुनाली घाटा में सामने से आ रही एक अन्य बाइक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर में नानुराम गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत1.०8 एम्बुलेंस से डूंगरपुर जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और शव को मोचरी में रखवाया। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

## भामाखेडा में रक्तदान शिविर 8 को

**राजसमंद**। भारतीयरेडक्रॉस सोसायटी जिला शाखा द्वारा स्वीच्छक रक्तदान शिविर का आयोजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भामा खेडा पर 8 जनवरी को प्रातः 1० बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किया जाएगा। समन्वयक कमल शर्मा ने बताया कि रक्तदान शिविर के पोस्टर विमोचन मानद सचिव बृजलाल कुमावत ने किया शिविर की तैयारी में मानद सचिव बृजलाल कुमावत, संयुक्त सचिव दीपचंद गाडरी, रमेश सिंह चारण, गोपाल लाल रावरा, कमल शर्मा, सुरेश भाट, हर्षवर्धन सिंह भाटी, प्रहलाद राय मूंदडा आदि जुटे हुए हैं। बताया कि रक्तदान शिविर का आयोजन संरक्षक एवं पूर्व विधायक बंशीलाल गहलोत एवं चेयरमेन कुलदीप शर्मा के जन्म दिन पर ग्रामीण क्षेत्र में रक्तदाताओं को मोटिवेट के साथ जागरूकता लाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। शिविर में कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष तक है जिनका हीमोग्लोबिन 12.5० ग्राम प्रतिशत है एवं वजन 45 किलोग्राम से अधिक रक्तदान कर सकता है।

## बाइक हेलमेट रैली का आयोजन

**राजसमंद**। सडक सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत 31 जनवरी तक चल रहे जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला में मंगलवार 6 जनवरी 2०26 को परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में बाइक हेलमेट रैली का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में किया गया।रैली का शुभारंभ जिला कलेक्ट्रेट परिसर से किया गया, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः कलेक्ट्रेट परिसर में संपन्न हुई। रैली के माध्यम से दुर्घटिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने की अनिवार्यता तथा सडक सुरक्षा नियमों के पालन का संदेश दिया गया। जिला परिवहन अधिकारी राघव शर्मा, परिवहन निरीक्षक अनिता पंवार, परिवहन उपनिरीक्षक नवीन जैन, यातायात पुलिस प्रभारी कैलाश पालीवाल एवं मुकेश फौजदार सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। रैली में यातायात पुलिस, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, डीतर प्रतिनिधियों तथा आम नागरिकों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। रैली के दौरान आमजन से अपील की गई कि वे स्वयं की सुरक्षा हेतु यातायात नियमों का पालन करें तथा दुर्घटिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट का उपयोग करें।

## संगोष्ठी के लिये ब्रोशर का विमोचन

**बांसावाड़ा**, (निर्सं)। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग एवं मानवीक के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी भारतीय संस्कृत ज्ञान परंपरा का वैश्विक प्रभाव अतीत, वर्तमान एवं भविष्य के ब्रोशर का विमोचन कुलपुराे को केशव सिंह ठाकुर ने किया। विमोचन अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव कसमी कौर, वित्त नियंत्रक हितेश गोड, उप कुलसचिव प्रो. राजेश जोशी, शैक्षिक सलाहकार डॉ. महिपाल सिंह, अकादमिक प्रभारी प्रो. शफकत राणा, परीक्षा नियंत्रक प्रो. प्रमोद वैष्णव, निदेशक शोध प्रो. नरेन्द्र पालेरी, सम्बद्धता प्रभारी डॉ. पकेश डामोर, सहायक कुलसचिव डॉ. लोकेश कुमार, प्राचार्य (अभियांत्रिकी) डॉ. अर्पित पाठक सहित विश्वविद्यालय के अधिकारी, शिक्षक एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

# सीएमएचओ ने परतापुर उपजिला अस्पताल का निरीक्षण किया

**बांसावाड़ा**, (निर्सं)। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. खुशपाल सिंह राठौड़ और डिप्टी सीएमएचओ डॉ. राहुल डिंडोर ने परतापुर उप जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। एक दिन पूर्व ही जिले में हुई दिशा बैठक में गठी विधायक ने बैठक में उपस्थित डिप्टी सीएमएचओ डॉ. डिंडोर को परतापुर में ओपीडी पश्चात एवं रात्रिकालीन में जाने वाले मरीजों की परेशानी को बात कही

- मां योजना में पंजीकरण करने के दिए निर्देश, परतापुर में सोनोग्राफी शुरू होगी**

थी। इस पर मंगलवार को सीएमएचओ डॉ. खुशपाल सिंह राठौड़ स्वयं परतापुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने सभी चिकित्सा अधिकारी और स्टाफ की बैठक भी और अस्पताल का निरीक्षण किया।

डॉ. राठौड़ ने निर्देश दिए कि इवनिंग और रात्रिकालीन में रहने वाले स्टाफ अनिवार्य रूप से ड्रेस कोड में रहेंगे। उन्होंने

## हाईवे पर निर्माणाधीन पुलिया से ब्लॉक गिरा

**भीम**। कस्बे से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन पुलिया में हाइवे कर्मचारियों की घोर लापरवाही सामने आई है जो किसी की जान ले लेती। चालू रोड पर अचानक से ट्रक चौराहा के पास एक साइड सीमेंटेड ब्लॉक नीचे गिरा। किसी को जान बच गई , वरना हादसा हो सकता था।

निर्माणाधीन हाइवे पर अचानक से सीमेंटेड साइड ब्लॉक गिरने से बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत है कि किसी की जान नहीं गई। यह हाइवे कर्मचारियों की घोर लापरवाही का नतीजा है। उन्हें इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए और अधिक सावधानी बतनी चाहिए। भीम में तो बड़ा हादसा होते-होते बच गया।हाइवे कर्मचारियों की लापरवाही से ट्रक का साइड ब्लॉक रोड पर गिर गया, और गनीमत है कि किसी की जान नहीं गई। अब प्रशासन को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आगे से ऐसी घटनाएं न हों।यह तो बहुत ही चिंताजनक बात है।भीम में हाइवे कर्मचारियों की लापरवाही से सीमेंटेड साइड ब्लॉक रोड पर गिर गया। और गनीमत है कि किसी की जान नहीं गई।

# समारोह स्थल का जायजा लिया

**उदयपुर**, (कासं)। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागडे एक दिवसीय प्रवास पर बुधवार को उदयपुर में रहेंगे। बागडे प्रातः 11.15 बजे डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे। राज्यपाल एयरपोर्ट से सीधे भूपाल नोबल्स संस्थान के महाराणा प्रताप खेल मैदान पहुंचेंगे जहां बीएन विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकाव करेंगे।

विशिष्ट अतिथि पूर्व कुलपति एवं सलाहकार उच्च शिक्षा राज्यपाल राजस्थान प्रो. कैलाश सोडानी होंगे जबकि अध्यक्षता कार्यवाहक अध्यक्ष प्रो. एस.एस. सारंगदेवोत करेंगे। मंगलवार को शहर के प्रशासनिक अधिकारियों ने समारोह स्थल का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

## आवेदन आमंत्रित

**उदयपुर**, (कासं)। पशुपालक सम्मान योजना के तहत प्रदेश की प्रगतिशील महिला पशुपालकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। संयुक्त निदेशक पशुपालन डॉ सुरेश कुमार जैन ने बताया कि वर्ष 2024-25 के लिए इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत समिति स्तर से एक प्रगतिशील महिला पशुपालक का चयन किया जाएगा।

इटी सेल प्रभारी अधिकारी हरिदत्त शर्मा के अनुसार वर्तमान डिजिटल युग में इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, जिसके साथ ही साइबर अपराधों और खतरों की संभावनाएँ भी बढ़ गई हैं। ऐसे में भावी

- सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के गुर सिखाए**

शिक्षक वर्ग को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य वक्ता चिराग सैनानी ने छात्राध्यापकों को साइबर सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार साइबर अपराधी व्यक्तिगत जानकारी, पासवर्ड, बैंकिंग विवरण और सोशल मीडिया खातों को निशाना बनाते हैं। सैनानी के इमेल स्पैम, फिशिंग, मेलवेयर, हैकिंग



बांसावाड़ा के परतापुर उप जिला अस्पताल का निरीक्षण कर बैठक लेते सीएमएचओ डॉ. खुशपाल सिंह राठौड़ और डिप्टी सीएमएचओ डॉ. राहुल डिंडोर।

पिछले माह ही लगभग 600 मरीजों की आईपीडी थी। लेकिन मां योजना में इलाज 1० फीसदी का ही हुआ। यह आईपीडी की तुलना में काफी कम था। इस पर उन्होंने मरीज के परिजनों से डॉक्यूमेंट मंगवाकर अधिक से अधिक आईपीडी केस को मां योजना में पंजीकरण करने के निर्देश भी दिए। परतापुर में सोनोग्राफी के लिए

चिकित्सा विभाग ने प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। अब यहां पर सोनोग्राफी सुविधा इसी सप्ताह से शुरू हो सकती है। इसके लिए डॉ सलोनोी चरपोटा को नियुक्त किया गया है। इस दौरान परतापुर बीसीएमओ डॉ दीपिका रोट, परतापुर उप जिला अस्पताल इंचार्ज डॉ अजयपाल सिंह मौजूद रहे।

# गीतांजली में लंग कैंसर व टीबी मामलों का सफल निदान



**लंग कैंसर और लंग टी.बी का सफल डायग्नोसिस करते डाक्टर्स।**

लंग कैंसर की पहचान नहीं हो सकी थी, लेकिन इबीयूस जांच के बाद बीमारी सही स्टेज पर पकड़ में आई। इसके परिणामस्वरूप तुरंत उपचार शुरू किया गया और वर्तमान में मरीज इलाज के साथ स्थिर स्थिति में बेहतर जीवन जी रहे हैं। इसी तरह दो मरीजों में फेफड़ों की टीबी साधारण जांचों में सामने नहीं आरही थी, लेकिन इबीयूस के माध्यम से लिम्फ नोड्स में छिपी टीबी का पता चला, जिसके बाद दोनों मरीजों का उपचार प्रारंभ किया गया और उनकी

## बैठक सम्पन्न

**डूंगरपुरा**। माधव बस्ती के सर्व हिन्दू समाज का विरट हिन्दू सम्मेलन 18 जनवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन में आयोजित किया जाएगा जिसकी कार्ययोजना के लिए समिति के संरक्षक डी.के.खेड़ा पूर्व वीएचपी जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में उनके निवास पर माधव बस्ती की बैठक आहुत की। बैठक का संचालन समिति के पालक मुकेश श्रीमाल ने करते हुए सम्मेलन की संपूर्ण कार्ययोजना प्रस्तुत की जिसके तहत बताया कि 18 जनवरी की दोपहर 2 बजे प्रताप नगर स्थित माताजी मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। धर्म सभा में छोटे-छोटे छात्रों द्वारा धार्मिक और राष्ट्र भुक्ति के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे तत्पश्चात मुख्य अतिथि पूर्व वीएचपी जिलाध्यक्ष डी.के. खेडा व मुख्य वक्ता द्वारा हिन्दू समाज के संगठित करने बौद्धिक प्रस्तुत करेंगे।

## बस सेवा शुरू, ग्रामीणों को मिली सुविधा

आदेश जारी किए हैं । अब ग्रामीण क्षेत्र के लोग आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। रोडवेज प्रशासन ने ब्यावर और भीम के बीच दो बसें शुरू की हैं, जो कुल 6 फेरे लगाएंगी। ये बसें सुबह 8 बजे भीम से रवाना होकर 9:30 बजे ब्यावर पहुंचेंगी और फिर 9:30 बजे ब्यावर से भीम के

लिए प्रस्थान करेंगी। भीम से ब्यावर की दूरी लगभग 55 किमी है, और बस यात्रा में लगभग 1 घंटे 30मिनट का समय लगता है। बसों के संचालन में पहली बस: भीम से ब्यावर के लिए 8:00 बजे रवाना होगी। ब्यावर से भीम के लिए 10:30। भीम से ब्यावर 12:30 बजे। ब्यावर से भीम 2:30 बजे प्रस्थान करेंगी।

## टक्कर से बाइक चालक की मौत

**उदयपुर**, (कासं)। गोगुन्दा थाना क्षेत्र में गोगुन्दा से बगईंदा रोड पर पीकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। जिससे बाईक चालक की मौत हो गई।

# एकलिंगजी शिव महापुराण कथा का समापन

**उदयपुर**, (कासं)। मीरा नगर में कृष्णगिरी पीठाधीश्वर जगद्गुरु पूज्यपाद श्री वसंत विजयानन्द गिरी महाराज की पवन निश्राम में आयोजित श्री महालक्ष्मी कोटि कुंकुमार्चन यज्ञ, पूजा साधना महामहोत्सव और भगवान एकलिंगजी शिव पुराण कथा का सोमवार रात्रि समापन हुआ।

समिति के अध्यक्ष नानालाल बया, महामंत्री देवेन्द्र मेहता ने बताया कि कथा में जगद्गुरु वसंत विजयानन्द गिरी महाराज ने कहा कि यदि आप क्षमतावान हैं तो सही दिशा में खर्च करने में कंजूसी न करें। समृद्धि आकर्षित होती ही रहेगी। आमतौर पर समृद्ध लोग भी सोना चांदी जैसी वस्तुएँ खरीदने या मॉल में जाते हैं तब तो कोई मोलभाव नहीं करते और जैसे ही किसी गरीब सब्जी, फल, या अन्य सामग्री बेचने वाले के पास जाएंगे तो खुब मोलभाव करेंगे।

महिलाओं की ऐसी आदत ज्यादा है। गरीब से उगे जाओगे तो ईश्वर खुश ही होगा। गरीब से मोलभाव मत कीजिये। ईश्वर की कृपा खूब बरसेगी। कभी भी कुछ खरीदो तो खुश होकर भुगतान करो। चीजों की कीमत पैसे से नहीं उसके आनंद से होती है। जगद्गुरु देव ने कहा कि अपने आभामण्डल को बेहतर बनाने के लिए सभी को प्राणायाम जरूर करना चाहिए। गुरुदेव ने सुंदर जीवन शैली के लिए श्रद्धालुओं को कई टिप्स भी दिए।

| क्र. सं. | आवेदक का नाम व पता                                                          | आवेदित सम्पत्ति का पता                                                                 | पट्टीस का विवरण     |           |                     |                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|--------------------|
|          | पूर्व                                                                       | पट्टिस                                                                                 | उत्तर               | दक्षिण    |                     |                    |
| 1        | की कमलेश सुखवाल <p>पिता श्री जगदीश चन्द्र निवासी सुभाईया नगर, नाथद्वारा</p> | पू्खण्ड संख्या- 21 <p>क्षेत्रफल -2100 वर्गफीट , गणेश नगर आवासीय कॉलोनी , नाथद्वारा</p> | 3० फिट चौड़ा रास्ता | कृषि भूमि | 30 फिट चौड़ा रास्ता | पू्खण्ड संख्या- 22 |

प्रा.सं.-1० ( नियम-6 (7) देखिए )

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                           |             |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| <b>कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर पालिका नाथद्वारा जिला-राजसमन्द</b>                                                                                                                                                                                                                      |                         | <b>दिनांक: 05/०1/2०26</b> |             |                      |
| <b>लोक-सूचना</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                           |             |                      |
| श्री अजय पुत्र श्री राजकुमार, श्री दीपक कुमार पुत्र श्री रघुवंत सिंह एवं पूजा डवलपत्त निवासी नाथद्वारा तहसील -नाथद्वारा जिला-राजसमन्द द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अधिपति अधिकारों के निर्वाह के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात- |                         |                           |             |                      |
| क्र.सं.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | तहसील का नाम जिले सहित  | ग्राम का नाम              | खसरा संख्या | क्षेत्रफल            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | नाथद्वारा जिला-राजसमन्द | भलावली का खेडा            | 526         | रकबा 0.1897 हैक्टेयर |

इसलिए, परिलक्षित द्वारा मंगल संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1956 के भाग 90-अथवा राजस्थान अधिनियम अधिनियम 1955 के भाग 63 के अधीन पूर्णक प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुमति प्राप्त करने और प्राधिकृत अधिकारों के उपयोग पर कार्य करने के दौरान यह तोह शर्त निर्धारित के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आवेदन या अपील/आवेदन/आवेदन के प्रभाव में 07 दिन के भीतर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अधिपुति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वीक प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा पदान करने और अधिपुति अधिकारों के निर्वाण पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के ०7 दिन के भीतर-भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकता। अपूर्वकृत निशत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह साक्षात्ता जायेगी कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना बरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 5/०1/2०26 को जारी की गयी।

**प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त , नगर पालिका नाथद्वारा**

## कार्यालय ग्रामपंचायत पीपलबारा पंचायत समिति फलासिया, जिला उदयपुर ( राज. )

| क्रमांक:-ग्रा.पं./२०25-26/SPL                                                                                                                                                                      | दिनांक-05/०1/2०26                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>ई-निविदा सूचना - ०3/२०25-26</b>                                                                                                                                                                 |                                          |
| <b>ग्राम पंचायत पीपलबारा में डीएमएफटी योजनान्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु ऑनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।विस्तृत विवरण/जानकारी sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।</b> |                                          |
| <b>UBN N0- ZUD2526WSLBO3664</b>                                                                                                                                                                    |                                          |
| <b>UBN N0- ZUD2526WSLBO3666</b>                                                                                                                                                                    |                                          |
| <b>प्रशासक</b>                                                                                                                                                                                     | <b>ग्राम विकास अधिकारी</b>               |
| <b>ग्राम पंचायत पीपलबारा प.स.फलासिया</b>                                                                                                                                                           | <b>ग्राम पंचायत पीपलबारा प.स.फलासिया</b> |
| <b>जि.उदयपुर ( राज. )</b>                                                                                                                                                                          | <b>जि.उदयपुर ( राज. )</b>                |

# कार्यालय नगर परिषद चित्तौड़गढ़

क्रमांक: रा.श.सि./भूमि 69 ए / 2025-26/ 9408-10

दिनांक :- 30.12.2025

## उज्जरदात्री सूचना 13

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न सारणी अनुसार आवेदकों द्वारा नगर परिषद चित्तौड़गढ़ में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69-ए के तहत पट्टा प्राप्त किये जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार की उज्जर/आपत्ति हो तो अन्दर नियाद 7 दिवस में अपनी आपत्ति नगर परिषद कार्यालय में कार्यालय समय एवं कार्यदिन में मय साक्षर /दस्तावेज उपस्थित होकर प्रस्तुत करें अन्यथा नियत समयको परघात कोई आपत्ती स्वीकार नहीं की जायेगी एवं तदनुसार आवेदक के पक्ष में पट्टा जारी करने की कार्यवाही निष्पादित की जायेगी।

| क्र।सं | नाम आवेदक                                                                                                                                  | आवेदित स्थल                                               | क्षेत्रफल वर्गफिट में |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.     | श्री सत्यनारायण पिता श्री मांगीलाल नामधराणी निवासी उपरला पाड़ा चित्तौड़गढ़                                                                 | उपरला पाड़ा चित्तौड़गढ़                                   | 1462.50               |
| 2.     | श्री शिवलाल भोंई पिता श्री रामलाल भोंई निवासी हडगला कच्ची बस्ती भोंई खेडा चित्तौड़गढ़                                                      | हडगला कच्ची बस्ती भोंई खेडा चित्तौड़गढ़                   | 3737.25               |
| 3.     | श्री रमेश चन्द्र उपाध्याय पिता श्री विष्णुदत्त उपाध्याय एवं श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री रमेश चन्द्र उपाध्याय निवासी सदर बाजार चित्तौड़गढ़ | खाकल देवड़ी की गली, पुराना पोस्ट ऑफिस के पास, चित्तौड़गढ़ | 2805.83               |
| 4.     | श्रीमती निधि शर्मा पुत्री श्री रमेश चन्द्र उपाध्याय निवासी खाकल देवड़ी की गली, पुराना पोस्ट ऑफिस के पास, चित्तौड़गढ़                       | खाकल देवड़ी की गली, पुराना पोस्ट ऑफिस के पास, चित्तौड़गढ़ | 3814                  |
| 5.     | श्री भूरसिंह पिता श्री मोहन सिंह राणावत निवासी मधुवन, सेती चित्तौड़गढ़                                                                     | भूखण्ड संख्या 14, मधुवन द्वितीय, सेती चित्तौड़गढ़         | 1516.23               |
| 6.     | श्रीमती पुनम गीता पत्नी श्री जयसिंह भीणा निवासी चित्तौड़गढ़                                                                                | भूखण्ड संख्या 27 का भाग, प्रतापनगर चित्तौड़गढ़            | 800                   |

राज.संवाद / सं / 25 / 11725

आयुक्त